निदेशक एंव विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

सेवा में

सभी अतिरिक्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हरियाणा राज्य।

यादी क्र0 स्था--II--2015/3179
चण्डीगढ़ दिनांक 24-6-2015

विषयः— माननीय उच्च न्यायालय में दायर केसों बारे।

जैसेकि आपको विद्धित है कि डी.आर.डी.ए. के कर्मचारियों द्वारा उनके सेवा संबंधी इत्यादि मामलों में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है तथा इस विभाग को भी प्रतिवादी बनाया गया है। प्रायः यह देखने में आया है कि डी.आर.डी.ए. के सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा सुनवाई की तिथि के समय कोर्ट केस अटैंड तो किये जाते हैं परन्तु उन केसो मे न्यायालय द्वारा क्या आदेश पारित हुए है या उसकी आगामी स्थिति बारे जानकारी इस विभाग को उपलब्ध नहीं करवाई जाती जिससे इस विभाग को केस की जानकारी न होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा समय पर न्यायालय के आदेशो की पालना करने में देरी हो जाती है।

अतः विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माननीय पंजाब एंव हरियाणा, उच्च न्यायालय में जो भी अधिकारी/कर्मचारी (मुख्यालय अथवा डी.आर.डी.ए. स्तर का) निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होगा वह उसी दिन निदेशक महोदय के निजी सचिव के पास रखे रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय में जो भी कार्यवाही हुई है बारे सम्बन्धित शाखा को अवगत करवाएगा। यदि अधिकारी/कर्मचारी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज नहीं करेगा तो उसे उस दिन का टी.ए./डी.ए. नही दिया जाऐगा तथा उसके विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

अतः आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए।

(हस्ताक्षर)
परियोजना अधिकारी
कृतेः निदेशक एंव विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ0 क्र0 स्था--II--2015/3180 चण्डीगढ़ दिनांक 24-6-2015

उपरोक्त की एक प्रति सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है।

(हस्ताक्षर)
परियोजना अधिकारी
कृतेः निदेशक एंव विशेष सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

cc + —
PS/DRD

EA-1/desktop/Noting C.H